भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
विधि कार्य विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3528
जिसका उत्तर शुक्रवार, 21 मार्च, 2025 को दिया जाना है

लंबित सरकारी मामलों के त्वरित निपटान संबंधी समिति

3528. श्री भाऊसाहेब राजाराम वाकचौरे :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार निष्पक्ष एवं अनुभवी अधिवक्तओं की एक उच्च स्तरीय समिति गठित करने का है, जिसके मार्गदर्शन में ऐसे सरकारी मामले, जो अनावश्यक रूप से जिला, राज्य एवं केंद्र स्तर पर न्यायालयों में लम्बे समय से लम्बित हैं तथा जिनके कारण विकास में बाधा आ रही है, उन्हें त्वरित गति से निपटाया/समाधान किया जा सके ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार को इस संबंध में जन प्रतिनिधियों से कोई प्रस्ताव/सुझाव प्राप्त हुआ है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा अब तक की गई/की जा रही कार्रवाई का ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

**विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)**

(क) : जी, नहीं ।

(ख) : प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) : जी, नहीं ।

(घ) और (ड.) : प्रश्न ही नहीं उठता ।

****